13.07.2015 आवेदिका अनुपरिथत। अनावेदक अनुपरिथत।

प्रकरण में आवेदिका पक्ष को बार—बार पुकार लगाने पर आवेदिका पक्ष उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता, विधिक प्रतिनिधि उपस्थित है। अतः प्रकरण में आवेदिका पक्ष की अदम पैरवी में आवेदिका द्वारा पेश आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—125 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

STINGTAL PARTIES AND THE PROPERTY OF THE PARTIES AND THE PARTI